न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/टिए/20/2005/भरतपुर

1. साहब सिंह
2. सरनाम सिंह

} पुत्रान बृजेन्द्र सिंह, जाति जाट, निवासी बैलाराकलॉ, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. समन्दर सिंह पुत्र सोबरनसिंह (मृतक) जरिये :–
   1.1 महावीर सिंह पुत्र समन्दर सिंह, जाति जाट, निवासी बैलारा कलॉ, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर।
   1.2 श्यामो पुत्री समन्दर सिंह, पत्नि छत्तर सिंह, जाति जाट, निवासी जोतरानी, तहसील रुपवास, जिला भरतपुर।
2. दिगम्बर सिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति जाट, निवासी बैलारा कलॉ, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर।
3. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्रीमान सिंह, जाति जाट, निवासी बैलारा कलॉ, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कुम्हेर।

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री भवानी सिंह रावत, अधिवक्ता रैस्पो0 संख्या 1/1
श्री राकेश अरोडा एवं श्री जे0के0 पारीक, अधिवक्ता रैस्पो02–3

निर्णय

दिनांकः – 24.01.2019

हस्तगत अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण अपील संख्या 301/2002 शीर्षक देवेन्द्र सिंह बनाम साहब सिंह में पारित निर्णय दिनांक 01–12–2004 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/अपीलार्थी की ओर से सहायक जिलाधीश (मुख्यालय), भरतपुर के समक्ष इस्तकरार हक, इन्द्रज दुरुस्ती व हुक्म इम्तनाई दवामी का एक वाद प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के विरुद्ध इस आशय का पेश किया कि आराजी स्थित ग्राम बैलारा कलॉ साबिक खसरा नम्बर 186/2.00 व 217/1.2 का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार था और उसके द्वारा खसरा नम्बर 186 के 1/8 हिस्से का बेचान वादी संख्या 1 के नाम कर दिया जिसका दाखिला खारिज जमाबंदी 2029 में वादी संख्या 1 के नाम से कर दिया है। इस खसरा नम्बर के बचे हुये 7/8 हिस्से को, जिसके हाल नम्बर 322 रकबा 50 एअर बने हैं, साबिक नम्बर 217 रकबा 1.2 जिसके हाल नम्बर 535 रकबा 37 बने हैं में से 18 एअर का बेचान दिनांक 5–12–1984 को वादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में कर

दिया और कब्जा दे दिया। प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत प्रकार से खसरा नम्बर 186 रकबा 2 बीघा साबिक के 7/8 हिस्से हाल नम्बर 322 रकबा 50 एअर के 7/8 हिस्से को अन्य नम्बरान के साथ प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को दिनांक 1.7.1986 को रजिस्ट्री कर दी, जब कि ये नम्बर पहले ही बेचान किया जा चुका था। वादी द्वारा वादपत्र में अनुतोष चाहा गया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 186 रकबा 2 बीघा के 7/8 हिस्से जिसके हाल नम्बर 322 रकबा 50 एअर बने हैं के 7/8 हिस्से व आराजी साबिक नम्बर 217 रकबा 1.2 जिसके हाल नम्बर 535 रकबा 37 बने हैं में से 18 एअर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए और प्रतिवादी के नाम हाल खसरा नम्बर 322 रकबा 50 के 7/8 हिस्से पर हो रहे इन्द्राजों को निरस्त किया जाये और खसरा नम्बर 217 रकबा 1.2 बीघा हाल खसरा नम्बर 535 रकबा 37 एअर में 18 एअर पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये व प्रतिवादीगण के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र दिनांक 1–7–1986 को खसरा नम्बर 322 रकबा 50 एअर के 7/8 हिस्से तक बोइड घोषित किया जाए। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को पाबन्द किया जाये वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 50 एअर के 7/8 हिस्से व 535 रकबा 37 एअर में से 18 एअर रकबे में किसी प्रकार की मजाहमत मदाख्लत नहीं करें। यदि प्रतिवादी ने दौराने दावा किसी प्रकार का कब्जा कर लिया है तो उससे प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जाए। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर हाल 322/0.50 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र बेचान किया है और इस प्रकार 7/8 हिस्से पर प्रतिवादी के नाम नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है। प्रतिवादी संख्या–1 ने वादी के पक्ष में कोई बयनामा नहीं कराया है। दावा खारिज किया जाए।

3– परीक्षण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, कुम्हेर 8–10–2002 से दावा वादी स्वीकार करते हुये आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 50 एअर के 7/8 हिस्से व खसरा नम्बर 535 रकबा 37 एअर में से 18 एअर का खातेदार घोषित किया और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अपील के दौरान प्रतिवादी/प्रथम अपील के अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17, सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया कि जबाबदावे में संशोधन किया जा कर जबाबदावे के मद संख्या 17–अ में निम्न प्रकार संशोधन चाहा :–

> “यह कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 322/0.50 गत खसरा नम्बर 186 के 7/8 हिस्से को प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 18–7–1986 क्रय कर लिया है। वादीगण ने दावे में उपरोक्त आराजी से बेदखल होना स्वीकार किया है, इसलिये अन्य दशा में हम प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को उपरोक्त आराजी पर दिनांक 18–7–1998 के बाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अधिकार खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं और वादीगण के यदि कोई अधिकार थे तो वह समाप्त हो चुके हैं, इसलिये दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है। ”

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01–12–2004 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17, सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया और प्रकरण आंशिक रुप से स्वीकार कर प्रकरण को जबाबदावे में संशोधन के निर्देशों सहित अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया। इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील मूल वाद के वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी/वादीगण ने बहस में निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 186/2.00 व 217/1.2 का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार था और उसके द्वारा खसरा नम्बर 186 के 1/8 हिस्से का बेचान वादी संख्या 1 के नाम कर दिया जिसका दाखिला खारिज जमाबंदी 2029 में वादी संख्या 1 के नाम से कर दिया है। इस खसरा नम्बर के बचे हुये 7/8 हिस्से को, जिसके हाल नम्बर 322 रकबा 50 एअर बने हैं, साबिक नम्बर 217 रकबा 1.2 जिसके हाल नम्बर 535 रकबा 37 बने हैं में से 18 एअर का बेचान दिनांक 5–12–1984 को वादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में कर दिया और कब्जा दे दिया। जब वादी के पक्ष में पूर्व से ही दिनांक 5–12–1984 को आराजी का बेचान किया जा चुका था तो फिर प्रतिवादी संख्या 1 को दुबारा बयनामा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में कराने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहा था। जब तक प्रथम विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं कराया जाता है द्वितीय विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी को किसी प्रकार के हकूक अर्जित नहीं हो सकते हैं। परीक्षण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आदेश 6 नियम 17, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र को गलत प्रकार से स्वीकार किया है और अपील को अविधिक रुप से रिमाण्ड किया है। परीक्षण न्यायालय में वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत किया है, जिसमें वादी के कब्जा दिलाने की मांग का प्रतिवादी ने कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया है। यदि अपीलीय न्यायालय को ऐसा लगता था कि तनकी बनाना आवश्यक है तो स्वयं के स्तर से ऐसा कर सकते थे। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस प्रकार की स्थिति में तहत न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि के सुसंगत प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलाय के निर्णय को निरस्त किया जाए।

5– रैस्पो0/प्रतिवादीगण पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया है उसमें वादपत्र में मद संख्या 13–द में वादी ने स्वयं ने अंकित किया है कि यह कि प्रतिवादीगण ने दौराने दावा विवादित आराजी पर अनाधिकार कब्जा कर लिया है, उससे प्रतिवादीगण को बेदखल किया जा कर कब्जा वादीगण को वापिस दिलाया जाए। अतः जब प्रतिवादीगण ने आराजी को पंजीबद्ध विक्रय पत्र से किया है और वादी स्वयं अपने वाद में आराजी पर अपना कब्जा नहीं होना कहते हैं तो स्पष्ट है कि

प्रश्नगत आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। अतः हमारे द्वारा जो जबाब दावा दिया गया है उसमें संशोधन आवश्यक हो जाता है। जब अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिवत रुप से संशोधन स्वीकार किया गया है तो जबाबदावा भी संशोधित होगा और प्रकरण में पुनः ट्रायल होगा। अतः इस प्रकार की स्थिति में अपीलीय न्यायालय के स्तर पर किसी प्रकार का परीक्षण नहीं हो सकता है और अपीलीय न्यायलाय ने प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन–अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 08–10–2002 के विरुद्ध अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील संख्या 301/2002 प्रस्तुत की गई थी जिसमें प्रतिवादी/अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17, सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया और वादपत्र के मद मद संख्या 17–अ में इस प्रकार और अंकन कराना चाहा कि – “यह कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 322/0.50 गत खसरा नम्बर 186 के 7/8 हिस्से को प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 18–7–1986 क्रय कर लिया है। वादीगण ने दावे में उपरोक्त आराजी से बेदखल होना स्वीकार किया है, इसलिये अन्य दशा में हम प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को उपरोक्त आराजी पर दिनांक 18–7–1998 के बाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अधिकार खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं और वादीगण के यदि कोई अधिकार थे तो वह समाप्त हो चुके हैं, इसलिये दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है। ” अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के स्तर पर दिनांक 19–11–2004 को प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17, सिविल प्रक्रिया संहिता पर ही बहस सुनी गई थी और अपील में कोई बहस नहीं सुनी गई थी किन्तु आक्षेपित निर्णय दिनांक 1–12–2004 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17, सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार कर, सम्पूर्ण अपील को ही आंशिक स्वीकार कर रिमाण्ड कर दिया गया जब कि अपील पर किसी प्रकार की बहस सुनी ही नहीं गई थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को चाहिए था कि प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17, सिविल प्रक्रिया संहिता पर आदेश पारित करने के उपरान्त अपील की सुनवाई के लिए प्रकरण में आगामी पेशी दी जानी चाहिए थी और प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17, सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुन कर सम्पूर्ण अपील को निस्तारित नहीं करना चाहिए था। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के स्तर पर प्रक्रिया की पालना नहीं होने से, अपीलाधीन निर्णय में अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने का जो आदेश दिया गया है वह निरस्त कर प्रकरण पुनः आगामी कार्यवाही हेतु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8– फलतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है और राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण अपील संख्या 301/2002 शीर्षक देवेन्द्र सिंह बनाम साहब सिंह में पारित निर्णय दिनांक 01–12–2004 में अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित करने के

निर्णय को निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17, सिविल प्रक्रिया संहिता पर पारित निर्णय को यथावत रखा जाता है। प्रकरण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी कार्यवाही करें। उभय पक्ष दिनांक 25-02-2019 को राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष